प्रेस नोट

दिनांक 24.10.2026

जनपद मऊ।

थाना/समाधान दिवस पर जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में दिनांक 24.10.2026 को जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा सयुक्त रुप से थाना मधुबन पर उपस्थित रहकर थाना समाधान दिवस पर जनशिकायतों को सुना गया साथ ही साथ जनपद के समस्त थानों पर भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।* इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त 139 प्रार्थना पत्रों में से कुल 11 प्रार्थना पत्रों का मौके पर पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

दहेज हत्या के संबंध में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्र के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 24.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सलाहबाद मोड़ के पास से मु0अ0स0 292/26 धारा 85, 80(2), 115(2), 351(2) व ¾ डीपी एक्ट में वाछिंत अभियुक्त नेयाज अहमद पुत्र जमालुद्दीन नवासी कस्बा मुबारकपुर मुहल्ला अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. नेयाज अहमद पुत्र जमालुद्दीन नवासी कस्बा मुबारकपुर मुहल्ला अलीनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 292/26 धारा 85, 80(2), 115(2), 351(2) व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान समय व दिनांक-

दिनांक -24.10.2026, **स्थान** - सलाहबाद मोड़ के पास से, **समय -** 9:50

***जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 82678-/ (बयासी हजार छः सौ अठहत्तर रुपये) पीड़ित को वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 24.10.2026 को पीड़ितो के खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 82678-/ (बयासी हजार छः सौ अठहत्तर रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण-

- .थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता /आवेदिका फरहाना खातून पत्नी जावेद अहमद अंसारी निवासी खैराबाद थाना जनपद मऊ का कुल धनराशि – 29478 /- रुपये वापस कराया गया।
- थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा कुल 10 पोडितों/अवेदकों को 53200 रुपये कराये गये वापस-

1. शिकायत संख्या-(23109250148944) आवेदक संतोष कुमार यादव निवासी नदवल थाना घोसी जनपद मऊ मो0 नं0 9129006303 का 1992.87/- रुपया वापस कराया गया।

2. शिकायत संख्या-(23106260118881) आवेदक दीपक निषाद निवासी पीवाताल थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 7388695424 का 3577.68/- रुपया वापस कराया गया।

3. शिकायत संख्या-(33108260223462) आवेदक संदीप चौहान निवासी नदवासराय थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 9554006369 के 5000/- रुपये वापस कराये गये।

4. शिकायत संख्या-(33112250181858) आवेदिका वंदना मिश्रा निवासी घोसी थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 8601778292 के 4000/- रुपये वापस कराये गये।

5. शिकायत संख्या-(23108260156943) आवेदक दीपक कुमार निवासी जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 9795603478 के 1578/- रुपये वापस कराये गये।

6. शिकायत संख्या-(33112250190772) आवेदक शुग्गन कुमार निवासी घोसी थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 9616344846 के 19,500/- रुपये वापस कराये गये।

7. शिकायत संख्या-(23111250185055) आवेदक अनुज कुमार मोदनवाल निवासी घोसी थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 8881714151 के 500/- रुपये वापस कराये गये।

8. शिकायत संख्या-(23108250111859) आवेदक कन्हैया लाल यादव निवासी घोसी थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 7052596244 के 13,80/- रुपये वापस कराये गये।

9. शिकायत संख्या-(33110250149978) आवेदक प्रशान्त मौर्या निवासी घोसी थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 9455433301 के 6173.42/- रुपये वापस कराये गये।

10. शिकायत संख्या-(33109260241788) आवेदक सलमान खान निवासी मदापुर समसपुर थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 8687682260 के 9500.00/- रुपये वापस कराये गये।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

आगामी पीईटी(PET) परीक्षा के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस -अलर्ट, परीक्षा केन्द्रों पर रहेगी सतर्क निगरानी –

जनपद मऊ में यूपी ट्रिपल एससी PET-2026 की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए मऊ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 6 पालियों में कुल 37,440 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जनपद में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुरूष / महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा प्रत्येक केंद्र के आसपास सतर्क निगरानी रखी जा रही है।

परीक्षा केंद्रों के मुख्य प्रवेश द्वारों एवं आसपास के क्षेत्रों में पुरूण / महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा अव्यवस्था पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों, पेपर लीक या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मऊ पुलिस की सोशल मीडिया सेल एवं साइबर सेल पूरी तरह सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि भ्रामक या फर्जी खबरें फैलाने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके।

जनपद मऊ पुलिस सभी परीक्षार्थियों से अपील करती है कि वे शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखें तथा परीक्षा को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

जनपद मऊ पुलिस परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में आपत्तिजनक/ टोटके वाला चित्र वायरल करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत, संदिग्धों से पूछताछ व विधिक कार्रवाई जारी।

आज दिनांक- 24.10.2026 को सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में टोटके वाला चित्र वायरल करने के संबंध में थाना दोहरीघाट पर मु.अ.सं. 243/26 धारा 353(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए थाना दोहरीघाट 02 पुलिस टीमें अनावरण हेतु लगाई गई है, पुलिस द्वारा अब तक प्रकरण में वायरल करने वाले 04 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, घटना के सम्बंध में आस- पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज देखने तथा स्थानीय लोगो से पूछताछ की कार्यवाही भी प्रचलित है, यथाशीघ्र घटना में संलिप्त की गिरफ्तारी की जाएगी, व उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।